न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शेरगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास शर्मा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 42 / 2024
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 129

प्रार्थीगण

1. सत्यनारायण पुत्र धर्मीनारायण जाति ब्राम्हण निवास शेरगढ़, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 12.02.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम सुवालिया पटवार हल्का सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 1452, खसरा नम्बर 1454, खसरा नम्बर 1371 कुल 03 खसरे एवं ग्राम भैरूसिंहनगर पटवार हल्का सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 1582 एवं 1610 भूमि आई हुई है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम धर्माराम लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेज में धर्मीनारायण लिखा हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर उक्त खसरों में अपने पिता का नाम शुद्ध करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गयें। अप्रार्थी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी, अप्रार्थी के जवाब एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्ध करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवालिया पटवार हल्का सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 1452, खसरा नम्बर 1454, खसरा नम्बर 1371 कुल 03 खसरे एवं ग्राम भैरूसिंहनगर पटवार हल्का सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 1582 एवं 1610 भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम धर्माराम के स्थान पर धर्मीनारायण नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शेरगढ उक्तानुसार उक्त खसरें में प्रार्थी के पिता का नाम शुद्ध करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार शेरगढ़ को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(विकास शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर शेरगढ
जिला जोधपुर